



Ch2C 31Un2121



मई 2024 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुद्रुतम

बिहार विहार		3
191		5
	बिहार के एक गाँव ने वोट देने से इनकार किया	3
>	जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार पर्यावरण सचिव का संबोधन	4
>	बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री का निधन	5
~	बिहार लोकसभा चुनाव	6
	काँवर झील	6
>	बिहार लोकसभा चुनाव चरण 5	8
	बिहार शराबबंदी की उपलब्धि	9




बिहार के एक गाँव ने वोट देने से इनकार किया

चर्चा में क्यों?

पिछले दो चुनावों से, **सुपौल के खोखनाहा गाँव के निवासियों** ने <mark>कोसी नदी से जिनत दुखों को कम करने के लिये सरकारी पहल की कमी</mark> के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों और वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों का बिहिष्कार किया।

इस वजह से खोखनाहा गाँव वर्ष 2024 के भी चुनाव में वोट देने से इनकार कर रहा है।



मुख्य बिंदुः

- कुछ वर्ष पूर्व कोसी नदी के करण गाँव को भारी नुकसान पहुँचा था और एक वर्ष पूर्व इसने गाँव तथा चार अन्य क्षेत्रों को सुपौल से अलग कर दिया था।
- ये **गाँव** अब कोसी की दो धाराओं के बीच एक द्वीप पर स्थित हैं। मानचित्र पर केवल 5 किलोमीटर दूर होने के बावजूद, बुनियादी आवश्यकताओं के लिये सुपौल जाने में पूरा दिन लग जाता है।

- कोसी बेल्ट के खोखनाहा और आस-पास के गाँवों के निवासी **सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस** करते हैं।
- वे बार-बार आने वाली बाढ़ को सहन करते हैं, जो उचित मुआवज़े या नदी को नियंत्रित करने के उपायों के बिना उनके जीवन और आजीविका की तबाही का कारण बनती है। इन क्षेत्रों में बिजली और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं का भी अभाव है।

कोसी नदी

- कोसी एक सीमा-पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है।
- इसका स्रोत तिब्बत में है जिहाँ विश्व की सबसे ऊँची भूमि शामिल है, फिर यह नदी गंगा के मैदानी इलाकों में उतरने से पूर्व नेपाल के
 एक बडे हिस्से में प्रवाहित होती है।
- इसकी तीन प्रमुख सहायक निदयाँ, **सुनकोशी, अरुण और तमूर हिमालय की तलहटी** से होकर गुजरने वाली 10 किमी. गहरी घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती हैं।
- यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में प्रवेश करती है, जहाँ यह किटहार ज़िले के कुरसेला के निकट गंगा में मिलने से पूर्व सहायक निदयों में बदल जाती है।
- भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी सबसे अधिक मात्रा में गाद और रेत लाती है।
- इसे "बिहार का शोक" भी कहा जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ से लगभग 21,000 वर्ग किमी. का क्षेत्र कुप्रभावित होता है। जिससे उपजाऊ कृषि भूमि की कमी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है।

जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार पर्यावरण सचिव का संबोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव** ने <mark>ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों</mark> को बढ़ावा देने के लिये भारत व बिहार दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु **इंडोनेशिया म**ें **जकार्ता फ्यूचर्स फोरम** को संबोधित किया।

मुख्य बिंदुः

- 'न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन की सुविधा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' शीर्षक वाली पैनल चर्चा में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) के महासचिव इंद्र मिण पांडे तथा इंडोनेशिया के ऊर्जा व खिनज संसाधन मंत्रालय के तहत नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण महानिदेशक प्रोफेसर एनिया लिस्टियानी डेवी शामिल थे
 - ◆ अपने संबोधन में सिचव ने नवंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिये गैर-जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर 40% का लक्ष्य हासिल करना और 'जलवायु सहनीय एवं निम्न कार्बन विकास पथ' के विकास में अग्रणी बिहार राज्य जैसी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों पर भी जोर दिया है।
 - ◆ विद्युत उत्पादन के लिये भारत ने निर्धारित समय से कई वर्ष पूर्व (मूल रूप से वर्ष 2023 तक लक्षित) ही गैर-जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता 40% तक कम कर लेने की क्षमता हासिल करके संयुक्त राष्ट्र की पार्टियों का सम्मेलन (COP) 21- पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पार कर लिया है।
 - ♦ देश नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता (बड़ी जलिवद्युत उत्पादन संयंत्र सिंहत) में विश्व स्तर पर चौथे स्थान, पवन ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान और सौर ऊर्जा क्षमता में पाँचवें स्थान पर है (REN21 नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति- 2023 रिपोर्ट के अनुसार)।
- मंच के दौरान स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत के सिक्रिय कदमों पर जोर दिया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक गैर-जीवाशम स्त्रोतों
 से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता, वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता शामिल है।
 - ♦ बिहार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।

- जल जीवन हरियाली मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रम राज्य में लागू किये जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जल निकायों को पुनर्जीवित करना, जैवविविधता संरक्षण को बढावा देना और हरित आवरण को बढाना है।
- बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA) एक अद्यतन नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2024 विकसित कर रही है।
- ◆ बिहार देश का **पहला राज्य** है जिसने राज्य के लिये **जलवाय सहनीय और निम्न कार्बन विकास पथ** विकसित किया है।
 - राज्य जलवायु परिवर्तन पर बिहार राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देने के कगार पर है। ये नीतियाँ राज्य में ऊर्जा परिवर्तन का भी समर्थन करती हैं।
- सिचव ने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढाँचे को सुदृढ़ करने, विकासशील देशों के लिये समर्थन बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऊर्जा परिवर्तन प्रभावित श्रमिकों एवं समुदायों की जरूरतों को पूरा करता है।

जकार्ता फ्यूचर्स फोरमः ब्लू होराइजन्स, ग्रीन ग्रोथ 2024

- जकार्ता में भारतीय दूतावास ने ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) एवं इंडोनेशिया के विदेश नीति समुदाय के साथ साझेदारी में
 2 और 3 मई 2024 को जकार्ता फ्यूचर्स फोरम (JFF) की मेजबानी की।
- JFF एक सार्थक और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिये दोनों देशों की दीर्घकालिक दृष्टि एवं प्रतिबद्धता की प्राप्ति है इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सामूहिक प्रयास और अभिनव समाधान वास्तव में विश्व को न केवल एक साथ संगठित करते हैं, बल्कि करीब भी ला सकते हैं।
- भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों एवं मुद्दों में समावेशन के अर्थ को पुन: परिभाषित करने की क्षमता तथा साख है, जिससे एक निष्पक्ष व अधिक न्यायसंगत विश्व साकार हो सके।
- समावेशन को एजेंडे में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जैसा कि इंडोनेशियाई और भारतीय G20 विज्ञप्तियों में परिलक्षित होता है।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री का निधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **वरिष्ठ राजनेता** और **बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी** का 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे।

मुख्य बिंदः

- वह वर्ष 2005 से 2013 और वर्ष 2017 से 2020 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे।
- वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य रहे
- उन्हें जुलाई वर्ष 2011 में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के लिये राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

उपमुख्यमंत्री

- भारत में उपमुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि किसी पार्टी के भीतर सहयोगियों या गुटों को खुश करने के लिये
 एक राजनीतिक व्यवस्था है।
- वह रैंक और भत्तों के मामले में एक कैबिनेट मंत्री के समतुल्य होता है लेकिन उसके पास कोई विशिष्ट वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियाँ नहीं होती हैं।
- उपमुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना होता है और अपने पोर्टफोलियो से संबंधित किसी भी निर्णय के लिये उसकी स्वीकृति लेनी होती है।
- उपमुख्यमंत्री के पास उन फाइलों या मामलों तक पहुँच नहीं है जो मुख्यमंत्री के लिये हैं।

- न तो **अनुच्छेद 163** और न ही **अनुच्छेद 164(1)** में स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री की स्थिति का उल्लेख है।
 - ◆ अनुच्छेद 163(1) राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - ◆ अनुच्छेद 164(1) नियुक्ति प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमःंत्री की सलाह पर की जाती है।

बिहार लोकसभा चुनाव

चर्चा में क्यों?

लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 के चौथे चरण में **बिहार में पाँच निर्वाचन क्षेत्रों में 54% से अधिक मतदान** दर्ज किया गया।

मुख्य बिंदुः

- सबसे अधिक मतदान प्रतिशत बेगुसराय में 58.40% दर्ज किया गया, इसके बाद समस्तीपुर में 58.10%, दरभंगा में 56.63%, उजियारपुर में 56% और मुंगेर में 55% मतदान हुआ।
- राज्य में चौथे चरण के मतदान के दौरान 5,398 मतदान केंद्रों पर 95.85 लाख से अधिक मतदाताओं द्वारा वोटिंग/मतदान के माध्यम से 55 उम्मीदवारों के भविष्य का निर्णय लिया गया।

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा प्रदत्त तथ्य और आँकड़े

- लोकसभा चुनाव-2024 सात चरणों में आयोजित होगा।
- लोकसभा 2024 चुनाव में कुल 96.8 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे।
- लोकसभा चुनाव- 2024 में **पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों की संख्या 1.8 करोड़** और **20-29 वर्ष की आयु वर्ग के** मतदाताओं की संख्या 19.47 करोड़ हैं।
- 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुष मतदाताओं से अधिक है।
 - ◆ वर्ष 2024 के आम चुनाव में **पहली बार मतदान करने वाली महिला मतदाताओं** की संख्या 85 लाख से अधिक है।
- अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के बाद यह पहला आम चुनाव होगा।
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों में विधान सभा चुनाव आम चुनाव के साथ-साथ 16 राज्यों में 35 सीटों के लिये उपचुनाव भी होंगे।
- वर्ष 2024 के आम चुनाव, जिसे लोकसभा चुनाव- 2024 के रूप में भी जाना जाता है, का परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा।

काँवर झील

चर्चा में क्यों?

कभी <mark>प्रवासी पक्षियों</mark> का आश्रय स्थल रही एशिया की सबसे बड़ी **अलवण जल की गोखुर झील और बिहार की एकमात्र <mark>रामसर</mark> स्थल काँवर धीरे-धीरे लुप्त हो रही है।**

मुख्य बिंदुः

- गोखुर झील (Oxbow Lake) एक वक्राकार झील है जो समय के साथ क्षरण और अवसादों के निक्षेपण के परिणामस्वरूप विसर्पी नदी के किनारे बनती है।
 - गोखुर झीलें सामान्यत: अर्ब्डचंद्राकार होती हैं जो निदयों के पास बाढ़ के मैदानों एवं निचले इलाकों में पाई जाने वाली भू-स्थलाकृतियाँ हैं।

- कभी लोकप्रिय पर्यटन स्थल रही काँवर झील अतिक्रमण का शिकार हो गई है और जिसका अस्तित्त्व संकट में है।
 - ♦ भूमि के अनियंत्रित विस्तार और निकटवर्ती बूढ़ी गंडक नदी के किनारे तटबंधों के निर्माण ने आईभूमि में मुख्य जल प्रवेश बिंदु को अवरुद्ध कर दिया है।
- एक साझा धारणा है कि झील के पुनर्भरण करने की सरकारी पहल के साथ, इसमें अपनी पिछली भव्यता को पुन: प्राप्त करने और एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल में बदलने की क्षमता है, जो स्थानीय निवासियों के लिये नए रोज़गार की संभावनाएँ प्रदान करता है।



काँवर झील

- इसे काबरतल झील (Kabartal jheel) के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक अविशष्ट गोखुर झील है, जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्प के कारण बनी है।
- यह उत्तरी बिहार के अधिकांश सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्रों को कवर करती है।
- यह आर्द्रभूमि मध्य एशियाई फ्लाईवे (पिक्षयों का महत्त्वपूर्ण प्रवास मार्ग व स्थल) है, जहाँ 58 प्रवासी जलपक्षी प्रवास करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
- 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेज़ीकरण के साथ यह झील मत्स्य जैविविविधता हेतु भी एक बहुमूल्य स्थल है।
- गंभीर रूप से संकटग्रस्त पाँच प्रजातियाँ इस स्थल पर निवास करती हैं, जिनमें गिन्द की तीन प्रजातियाँ शामिल हैं- रेड-हेडेड वल्चर (Sarcogyps calvus), वाइट-रम्प्ड वल्चर (Gyps bengalensis) व इंडियन वल्चर (Gyps indicus) और दो जलपक्षी प्रजातियाँ सोशिएबल लैपविंग (Vanellus gregarius) व बेयर पोशर्ड (Aythya baeri)।
- संकटः साइट पर प्रमुख संकटों का कारण जल प्रबंधन गतिविधियाँ जैसे: जल निकासी, जल पृथक्करण, बाँध-निर्माण और नहरीकरण शामिल हैं।

बिहार लोकसभा चुनाव चरण 5

चर्चा में क्यों?

बिहार में आम चुनाव के पाँचवें चरण में 5 लोकसभा क्षेत्रों में 52.35% मतदान हुआ।

मुख्य बिंदुः

- निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मुज़फ्फरपुर में 55.30%, हाजीपुर में 53.81%, सीतामढ़ी में 53.13%, सारण में 50.46% और मधुबनी में 49.01% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
- इन पाँच सीटों पर 95 लाख से अधिक मतदाता 9,436 मतदान केंद्रों पर 80 उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य का निर्णय ले रहे हैं।
 - ◆ इन मतदाताओं में से 45.11 लाख महिलाएँ हैं, 29 वर्ष से कम उम्र के मतदाताओं की संख्या 21 लाख और 18-19 वर्ष की उम्र के मतदाताओं की संख्या 1.26 लाख हैं।

लोकसभा (लोक सदन)


- यह निचला सदन (प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन) है और समग्र रूप से भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है।
- संरचनाः लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि और 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं।
 - ◆ वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - इससे पहले राष्ट्रपित ने एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को भी नामांकित किया था, लेकिन 95वें संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल वर्ष 2020 तक वैध था।
- प्रतिनिधियों का चुनावः राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा किया जाता है।
 - ◆ केंद्रशासित प्रदेश (लोकसभा के लिये प्रत्यक्ष चुनाव) अधिनियम, 1965 के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में लोकसभा के सदस्य सीधे चुने जाते हैं।
- कार्य: लोकसभा के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करना है, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिये मिलकर कार्य करते हैं।
 - जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्राय: हमारे दिमाग में कार्यपालिका का ख्याल आता है।

बिहार शराबबंदी की उपलब्धि

चर्चा में क्यों?

लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार, वर्ष 2016 में बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तथा अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के 2.1 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया।

यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रतिबंध ने राज्य में 1.8 मिलियन पुरुषों को अधिक वज्जन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है।



मुख्य बिंदुः

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, गरीबी, स्वास्थ्य और पोषण प्रभाग, अमेरिका सहित शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने राष्ट्रीय तथा जिला स्तर के स्वास्थ्य एवं घरेलु सर्वेक्षणों के आँकडों का विश्लेषण किया
- सख्त शराब विनियमन नीतियाँ बार-बार शराब पीने वालों और अंतरंग साथी हिंसा के कई पीड़ितों के लिये एक बड़े जनसंख्या स्तर पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती हैं।
- अप्रैल 2016 में, बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 ने पूरे राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा खपत पर लगभग पूर्ण रोक लगा दी।
 - ◆ इसके सख्त प्रवर्तन ने प्रतिबंध को "स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के परिणामों पर सख्त शराब प्रतिबंध नीति के वास्तविक कारण प्रभावों का अनुमान लगाने के लिये एक आकर्षक स्वाभाविक प्रयोग" बना दिया।
- प्रतिबंध से पूर्व राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 3, 4 और 5 के अनुसार, बिहार में पुरुषों द्वारा शराब पीने की दर 9.7% से बढ़कर 15% हो गई थी, जबिक पड़ोसी राज्यों में यह 7.2% से बढ़कर 10.3% हुई थी।
- प्रतिबंध के बाद भावनात्मक हिंसा में 4.6% और यौन हिंसा में 3.6% की कमी देखी गई है।

नशे से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) (अनुच्छेद 47):
 - अनुच्छेद 47 में उल्लेख किया गया है कि "विशेष रूप से, राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर इनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये नियम बनाएगा
 - जबिक DPSP अपने आप में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि राज्य को ऐसी स्थितियाँ स्थापित
 करने की आकांक्षा रखनी चाहिये जिसके तहत नागरिक अच्छा जीवन जी सकें।
 - ♦ इस प्रकार, शराब को संविधान और विस्तार से भारतीय राज्य द्वारा एक अवांछनीय बुराई के रूप में देखा जाता है जिसे विनियमित करने की आवश्यकता है।

सातवीं अनुसूचीः

- संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, शराब एक राज्य का विषय है, यानी, राज्य विधानमंडलों के पास इसके संबंध में कानून का मसौदा तैयार करने का अधिकार और जिम्मेदारी है, जिसमें "मादक शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद तथा बिक्री" शामिल है।
- ♦ इस प्रकार, शराब से संबंधित कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं, जो निषेध और निजी बिक्री के बीच पूरे स्पेक्ट्रम में आते हैं।

+ + + +